न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 12/18 ई.सी.एक्ट अपील

श्री हीराराम पुत्र लक्ष्मणराम जाति नाई निवासी ग्राम, तहसील कोलायत जिला बीकानेर, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम मिठड़िया तहसील कोलायत, जिला बीकानेर

—अपीलान्ट

: ब ना म :

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय), बीकानेर

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976

उपस्थितिः—

1. अपीलान्ट के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौधरी उपस्थित।
2. जिला रसद अधिकारी, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित।

: निर्णय :

दिनांक 13.03.19

1. अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश,1976 के तहत दिनांक 23.05.18 को रेस्पोडेन्ट प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार—पत्र निरस्त किये जाने के आदेश से व्यथित होकर दायर की गई है।

2. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को तलब किया गया एवं उनके कार्यालय की पत्रावली मंगवाई गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से उनके विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय अदालत मातहत द्वारा Judicial mind apply किये बिना इकतरफा तौर पर Without reasoning अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना मनमाने तरीके से पारित किया गया है, जो कि Non speaking order की तारीफ में आता है। वकील अपीलान्ट की यह भी बहस है कि प्रकरण में वास्तविक रूप से कोई जांच नहीं की गई। दिनांक 22.05.18 को जांच के दौरान अपीलार्थी के पास 169 किलो गेंहू माईनस 771.5 किलो चीनी व 3297 लीटर केरोसीन तेल कम व अधिक पाने का आरोप लगाते हुए प्राधिकार—पत्र निरस्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों पर गौर नहीं किया व ना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना हुई है। प्राधिकार पत्र निलम्बन व निरस्त अवधि में अपीलार्थी के नाम से पोश मशीन ईश्यु की गई है। व उसका उपयोग किया गया है जिसके दौरान पोश मशीन से कमी अधिक का आरोप लगाया जाना पूर्णतया अनुचित है। दिनांक 17.05.17 को कार्य प्रारम्भ से लेकर दिनांक 31.01.18 तक निलम्बन दिन तक कार्य किया उस दौरान पोश मशीन से किये गये वितरण की ऑन लाईन रिकार्ड के अनुसार वितरण गेंहू, चीनी व केरोसीन दर्शाई गई है व ऑन लाईन 29.01.18 का शेष स्टॉक का चार्ज व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति नारायणसर को दे दिया गया था जो रिकार्ड से सुस्पष्ट है। निर्णय अदालत मातहत एकतरफा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जा कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए प्राधिकार—पत्र पुनः नियमित फरमाया जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner

4. इसके खण्डन में रेस्पोण्डेन्ट के विभागीय प्रतिनिधि प्रवर्तन निरीक्षक ने लिखित बहस के बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध राशन सामग्री वितरण कार्य में अनियमितता पाये जाने पर प्रथम दृष्टया प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। कम पायी गयी राशन सामग्री का स्टॉक अटैच डीलर को सुपुर्दगी देने तथा अपीलार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक सुपुर्द नहीं किये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने हेतु हल्का प्रवर्तन निरीक्षक को लिखा गया। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी द्वारा अवशेष स्टाक व पोश मशीन सुपुर्दगी सम्बन्धित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं करवायी गई। उक्त उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में भी प्रकरण विचाराधीन रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में राज्य स्तरीय जांच दल द्वारा भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी के विरूद्ध सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताएं किये जाने के कारण राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 3 (4) के तहत दोषी मानते हुए प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। समस्त कार्यवाही विधिसम्मत रूप से की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी द्वारा अवशेष स्टॉक व पोश मशीन सुर्पुदगी सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई। संयुक्त जांच दल द्वारा दिनांक 30.11.17 को उक्त उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करने पर राशन सामग्री वितरण में अनियमितता पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र दिनांक 01.12.17 को निलम्बित किया गया था। विभागीय प्रकरण 88/2017 सरकार बनाम श्री हीरालाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम गिरड़िया तहसील कोलायत के प्रकरण में पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर ही विधि सम्मत निर्णय लिया गया है जिसकी रिकार्ड के आधार पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी भी प्रकार की त्रुटी नहीं पाते है। इस आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.18 में हम किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.18 जिसकी रूह से अपीलार्थी का प्राधिकार-पत्र निरस्त किया गया है को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली के साथ जिला रसद अधिकारी, बीकानेर को लौटाई जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर

Scanned by CamScanner